न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 56 / 2020

1–बैजनाथ गोयल पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल गोयल आयु 70 वर्ष
2–विनोद कुमार पुत्र श्री हजारी लाल गोयल उम्र 66 वर्ष
3–अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल गोयल उम्र 62 वर्ष
4–रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल गोयल उम्र 60 वर्ष
5–श्रीनिवास गोयल पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल गोयल उम्र 60 वर्ष (मृतक)
5/1–श्रीमती साधना पत्नि स्व0 श्रीनिवास गोयल जाति वैश्य निवासी
5/2–कृष्ण कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्रीनिवास गोयल जाति वैश्य निवासी मकान नं0 113बी फस्ट फलोर पारस नाथ पंचवटी तामनगरी फेस –2 आगरा
5/3–नलिनी गोयल पुत्री स्व0 श्रीनिवास गोयल जाति वैश्य निवासी 412 तुराव नगर किराना मण्डी गाजियाबाद यूपी
5/4–प्राची सिंघल पत्नि पंकज सिंघल पुत्री स्व0 श्रीनिवास गोयल जाति वैश्य मकान नं. सी–904 एक्सोटिका ईस्ट स्क्वायर अपार्टमेन्ट अहिंसा खण्ड फेज–2 इन्द्रापुरम गाजियाबाद
5/5– शिप्रा मित्तल पत्नि श्री दाऊ मित्तल पुत्री श्रीनिवास गोयल जाति वैश्य निवासी मकान नम्बर 36 सीताराम कॉलोनी बलकेश्वर आगरा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (परियाजना इकाई) नेशनल हाइवे 11 दौसा राज0
2– भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ओरियेन्टल कम्पनी किलोमीटर 4252

.....अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1959. खिलाफ अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी।

उपस्थितः–

1–श्री रमनलाल मित्तल, अभिभाषक प्रार्थी0,
2–श्री श्री राकेश धनखड़, अभिभाषक अप्रार्थी न.1

.....2

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

निर्णय

दिनांक 29.11.2024

पत्रावली माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या –1 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2020 की प्रति के साथ प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी0 एक याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.33 है0 चक नम्बर 1 कस्वा भरतपुर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसका पुराना खसरा नम्बर 1206 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा था। जिसका हाल बन्दोबस्त न. 1577 बना है। खसरा नम्बर 1577 किस्म जमीन आबादी है। प्रार्थीगण द्वारा कुल 49 बीघा व 1 बिस्वा में से जो जमीन विक्रय कर दी है और बाद शेष जमीन की क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भूमि की बाजारु कीमत वक्त अवाप्ति सूचना करीब 5000 / –प्रति वर्गगज दर निर्धारित है और इसी दर पर भूमि की कीमत मानकर भूमि की मानकर उप पंजीयक भरतपुर द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। इसलिए इस भूमि की कीमत 5000 / – प्रति वर्ग गज की दर से एक करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही करते हुये, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.6.2019 को प्रार्थीगण की याचिका को खारिज किया गया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18–6–2019 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या –1 भरतपुर के न्यायालय में अपील / आपत्ति पेश की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 05 / 2019 उनवानी बैजनाथ गोयल वगे0 बनाम परियोजना निदेशक वगे0 में माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या –1 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2020 में प्रार्थीगण की आपत्तियां अन्तर्गत धारा 34 आर्बीटेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट 1996 स्वीकार की जाकर निर्णय पारित किया है कि –

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

> "........प्रार्थीगण की आपत्तियां अन्तर्गत धारा 34 आर्बीटेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट 1996 स्वीकार की जाती है और जिला कलेक्टर द्वारा पारित अवॉर्ड दिनांक 18.6.2019 को अपास्त किया जाता है। जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे भूमि के अवाप्ति से मुक्त हो जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रस्तुत होने पर ही भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का आदेश पारित कर सकते हैं, इस सबंध में नये सिरे से दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर विनिश्चय करने के साथ ही आदेशात्मक रुप से यह भी निर्देश दिए जाते है कि जिला कलेक्टर भरतपुर मध्यस्थ इस प्रकार का फैसला अधिक से अधिक तीन माह के अन्दर आवश्यक रुप से करें......... ।"

उभय पक्षकारान अभिभाषक उपस्थित आये। उभय पक्षकारान को सुना गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.एम. भरतपुर की रिपोर्ट जो इस प्रकार है का अवलोकन किया गया :—

> ".....खसरा नम्बर 1577 / 0.30 है0 स्थित भरतपुर नं. 1 को एन.एच. 11 आगरा— जयुपर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन सड़क चौडीकरण के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर अवाप्ति से मुक्त करने के लिये कार्यवाही कम्पनी ओरियंटल पाथवेज के प्रस्ताव अनुसार डीनोटिफिकेशन के लिए परियोजना निदेशक रा.रा.प्रा. दौसा को पत्रांक 134 दिनांक 29.12.2008 लिख दिया गया है। इसलिए जब वादग्रस्त भूमि का अवाप्ति से ही मुक्त रखा जा रहा है तो उस भूमि पर कोई विवाद बिन्दु ही नहीं रह जाता है........ ।"

प्रकरण में मुख्य रुप से यह तय होना है कि या विवादित आराजी को अवाप्ति से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध डीनोटिफिकेशन जारी हुआ या नही ?

योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि विवादित भूमि

..........4

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

नेशनल हाइवे की ओर से भूमि की अवाप्ति प्रकिया पूर्ण होने के बाद और नेशनल हाइवे द्वारा कब्जा करने के बाद भूमि को अवाप्ति से मुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी हुई या नहीं। भूमि अवाप्ति एस.डी.ओ. भरतपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि की डीनोटिफिकेशन के लिए परियोजना निदेशक रा.रा.प्रा. दौसा को पत्रांक 134 दिनांक 29.12.2008 को लिखा गया ।

प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) भरतपुर की रिर्पोट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की अवाप्ति से मुक्ती की कार्यवाही की जा चुकी है। यानि विवादित भूमि को आवाप्ति भूमि से मुक्त कर दिये जाने सम्बन्धी अधिसूचना एस.डी.ओ. भरतपुर की रिर्पोट के अनुसार प्रक्रिया विचाराधीन है। जिसमें समय लगने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के अन्तिम आदेश का इन्तार करना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है, अस्तु प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी (भूमि आवाप्ति अधिकारी) भरतपुर को निर्णय की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के डीनोटिफिकेशन के सम्बन्ध में जांच कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)